वादग्रस्त आराजी की मौका स्थिति तथा प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन् में जटिलता एवं विलम्ब होना स्वाभाविक है। जिसकी भी अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को ही होना स्वाभाविक है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 581 में प्रार्थीगण के पिता के द्वारा 1/22 हिस्सा अर्थात 03 बिस्वा खरीदसुदा आराजी है, जिसमें प्रार्थीगण का हक हिस्सा निहित है, लेकिन वाद्रगरस्त आराजी के 1/22 हिस्से अर्थात् 03 बिस्वा के भू अभिलेख में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी के बैचान हस्तान्तरण किया जा सकता जिससे मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः हम हस्तगत वादपत्र के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी के आराजी खसरा नम्बर 581 रकबा 03-06 बीघा के सहमति बंटवाड़ा पश्चात् बने खसरा नम्बर 581, 581/1 एवं 581/2 के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक विधि संगत एवं उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रूपनगर पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान के खसरा नम्बर 581 रकबा 03-06 बीघा के सहमति बंटवाड़ा पश्चात् बने खसरा नम्बर 581, 581/1 एवं 581/2 के भू अभिलेख की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन नहीं करनें, तथा रहन बैचान व हस्तान्तरण नहीं करनें नहीं करें । पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 03/04/2025 को सर-ए-इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)